न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 36/2023/प्रार्थना पत्र/बउनवान/अनार बाई वगै. बनाम महावीर वगै.
जीसीएमएस संख्या 2023/93

1. अनारबाई उम्र 55 वर्ष पत्नि श्री राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
2. शिवराज उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
3. हंसराज उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति कुम्हार निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
4. गोरधन उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री गोपाल जाति बैरागी निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
2. नन्दकिशोर पुत्र श्री गोपाल जाति बैरागी निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
3. सुगना उर्फ शकुन्तला पत्नि श्री महावीर जाति बैरागी निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
4. ललित पुत्र महावीर जाति बैरागी निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साबह तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0
वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत्

वकील प्रार्थीगण : श्री कर्मवीर शर्मा, श्री देवेन्द्र चौरसिया
वकील अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 :– श्री रामस्वरूप नागर
दायरा दिनांकः 27.06.2023 **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

~ : निर्णय : ~

प्रार्थीगण निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि :–

01. प्रार्थीगण के शामिल खाते की आराजी खसरा नं0 883/1752 रकबा 0.02 है0 व खसरा नं0 883 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 में स्थित है। जिसमें आराजी खसरा नं0 883/1752 रकबा 0.02 है0 प्रार्थी क्रम 1 ता 3 व आराजी खसरा नं0 883 रकबा 0.01 है0 प्रार्थी क्रम 4 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

है लेकिन विवादित आराजी मौके पर एक साथ है अर्थात उसका 0.03 है0 उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की है जो नदी के समीप स्थित है। उक्त वर्णित आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

02. उक्त वर्णित आराजी के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 का उक्त आराजी से दूर – दूर तक कोई वास्ता नही है। उक्त आराजी नदी के पास स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की सुरक्षा के लिए बबूल के पेड़ लगा रखे है लेकिन अप्रार्थीगण बिना किसी विधिक अधिकार के पेड़ों को काटकर आराजी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है।

03. पूर्व में भी उक्त आराजी को लेकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से लड़ाई – झगड़ा कर चुके है। जिसके खिलाफ थाना मांगरोल में प्रकरण संख्या 209/05 दर्ज हुये थे जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2008 को निर्णय पारित कर जुर्माने से दण्डित किया गया है लेकिन अप्रार्थीगण पुनः उक्त आराजी को लेकर प्रार्थीगण से झगड़ा फसाद कर रहे है तथा अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें जिसके प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है।

04. दिनांक 20.06.2023 को जब अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खाता आराजी पर कब्जा करने की नियत से बबूल के पेड़ काट रहे थे तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से मना किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से लड़ाई – झगड़ा करने पर आमादा हुये तथा धमकी दी कि जमीन पर कब्जा करके रहेगें, पहले तो तुम बच गये थे अब खेत में आये तो जान से खत्क कर देंगे। जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खाता आराजी पर जबरन कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी है।

05. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के खाते की आराजी है जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है।

06. सुविधा का संतुलन पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से दूर – दूर तक कोई वास्ता नही है लेकिन अप्रार्थीगण ताकत के बल पर आराजी पर कब्जा करने की मंशा करते है जिसके लिए उन्होंने दिनांक 20.06.2023 को आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है।

07. अपूर्णनीय क्षति पूर्णतया प्रार्थीगण की है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपनी खाता आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा उससे होने वाली तथा उससे होने वाली क्षति की पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

जाना संभव नही होगा। प्रार्थना पत्र से संबंधित अन्य सुसंगत तथ्य दौराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 883/1752 रकबा 0.02 है0 व खसरा नं0 883 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करें, मौके की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थीक्रम 1 ता 4 की ओर से **जवाब प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार है :–

1. मद नं0 1 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
2. मद नं0 2 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
3. मद नं0 3 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
4. मद नं0 4 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
5. मद नं0 5 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
6. मद नं0 6 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
7. मद नं0 7 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।
8. मद नं0 8 प्रार्थना पत्र का जवाब वक्त बहस दिया जावेगा।
9. प्रार्थना प्राथी/वादीगण अस्वीकार है।

–: विशेष आपत्तियां :–

1. अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को परेशान करने की गरज से मिथ्या आधारों पर वाद/ प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्तनीय है।
2. प्रार्थीगण उक्त वाद की आड़ में सरकारी भूमि जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी वाके ग्राम भटवाड़ा खाता संख्या 468 संवत 2074 –2077, नकल जमाबंदी वाके ग्राम भटवाड़ा खाता संख्या 90 संवत 2074 –2077, राजस्व नक्शा वाके ग्राम भटवाड़ा तथा एफआईआर की प्रति थाना मांगरोल फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के खाते की आराजी है जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है तथा वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से दूर – दूर तक कोई वास्ता नही है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। लेकिन अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर आराजी पर कब्जा करने की मंशा करते है जिसके लिए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उन्होंने दिनांक 20.06.2023 को आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने में सफल हो जाते है अपूर्णनीय क्षति भी पूर्णतया प्रार्थीगण को ही होगी तथा प्रार्थीगण को अपनी खाता आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा उससे होने वाली क्षति की पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार किया जाना संभव नही होगा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,दस्तावेजात एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीक्रम 1 ता 4 को ताफैसला मूल वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 883/1752 रकबा 0.02 है0 व खसरा नं0 883 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करें, मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर उपस्थित दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी जाकर चिंतन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,दस्तावेजात एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीक्रम 1 ता 4 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता हैं कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 883/1752 रकबा 0.02 है0 व खसरा नं0 883 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 किसी प्रकार की दखलान्दाजी, व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करावें, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील तामील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल